

प्ररूप संख्या 10

(नियम 13 देखिये)



अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार

अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-17 के अधीन निर्गत।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..... के अनुरोध
पर बिहार राज्य के जिले के
तहसील(अंचल/प्रखंड) केस्थानीय क्षेत्र से संबंधित
रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों-वर्ष(वर्षों)..... में तलाशी की गई और
यह पाया गया कि..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....
.....के जन्म/मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया था।

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख:..... मुहर